भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 300
गुरुवार, दिनांक 08 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना</u>

300. एडवोकेट ए.एम. आरिफ: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2017 से नई एसएचपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/अनुदान/राजसहायता देनी बंद कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि केरल राज्य ने 26.9 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली दस एसएचपी परियोजनाओं के विकास का प्रस्ताव दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनों के लिए प्रति मेगावाट कम से कम पांच करोड़ रुपए की पूंजी राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) जी, हाँ। सरकार ने योजनाओं में किए गए प्रावधानों के अनुसार विगत में देश में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

(ख) जी, हाँ। सरकार ने सितंबर, 2017 से एसएचपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता/अनुदान/राजसहायता देनी बंद कर दी है क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं थी।

(ग) मंत्रालय को केरल सरकार से कुल 26.9 मेगावाट की कुल क्षमता की 10 एसएचपी परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव के संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) एवं (ङ) जी, नहीं। वर्तमान में, इस मंत्रालय में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है।

*****